# कोयला खान भविष्य निधि– तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948
## (1948 का अधिनियम सं. 46)

(3 सितम्बर, 1948)

कोयला खानों में नियोजित व्यक्तियों के लिए एक भविष्य निधि स्कीम (परिवार पेंशन स्कीम)[1] (निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम)[2] और बोनस स्कीम (और बोनस स्कीम विरचित करने का उपबंध करने के लिए अधिनियम) [3]
(xxx)
अतः एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है –

1) **संक्षिप्त नाम और विस्तार** :– [4](1) इस अधिनियम को कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 कहा जाएगा ।
[5](2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा [6]( XXX )

2) **निर्वचन** :– इस अधिनियम में जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो –

(क) "बोनस" से ऐसी कोई भी धनराशि अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के अधीन विरचित कोयला खान बोनस स्कीम के अधीन किसी [7][कर्मचारी]को संदेय है ;

[8](कक) "कोयला के अंतर्गत लिग्नाइट आता है ;

[9] (ख) "कोयला खान से ऐसा कोई भी उत्खात अभिप्रेत है जहां कोयले की तलाश या अभिप्राप्ति के प्रयोजन के लिए कोई संक्रिया चलाई जाती रही है या चलाई जा रही है, और निम्नलिखित इसके अंतर्गत आते हैं :–

i) सब बोरिंग और बोर छिद्र
ii) कोयला खान में, या उसके पार्श्वस्थ और कोयला खान के सब कूपक, चाहे वे गलाए जा रहे हों या नहीं ;
iii) अनुखनन के अनुक्रम में सब समतालिकाएं और आनत समपथ ;
iv) कोई विवृत खनित या खदान, अर्थात् ऐसा उत्खात जहां कोयले की तलाश या अभिप्राप्ति के लिए कोई संक्रिया चलाई जाती रही है या चलाई जा रही है और जो न कूपक है न ऐसा उत्खात है जिसका विस्तार उपरिस्थ भूमि के नीचे है ;
v) कोयले या अन्य वस्तुओं को कोयला खान में लाने या वहां से हटाने या वहां से कचरा हटाने के लिए उपबंधित सब प्रवहणियां या आकाशी रज्जुमार्ग ;
vi) कोयला खान में, या उसके पार्श्वस्थ और कोयला खान के सभी एडिट, समतालिकाएं, समपथ मशीनरी, संकर्म रेल, ट्रामवे और साइडिंग ;

vii) वे सब कर्मशालाएं जो कोयला खान की प्रसीमाओं के अंदर स्थित हैं और एक ही प्रबंध के अधीन हैं और उस कोयला खान से या उसी प्रबंध के अधीन की गई कोयला खानों से संसक्त प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाती हैं ।

viii) कोयला खान का कोई कार्यालय ;

ix) कोयला खान या उसी प्रबंध के अधीन की गई कोयला खानों के कार्यकरण के प्रयोजनार्थ विद्युत प्रदाय के लिए सभी विद्युत केंद्र ;

x ) कोयला खान के नियोजक के अनन्य अधिभोग के कोई परिसर जो कोयला खान का कचरा डालने के लिए तत्समय उपयोग में लाए जा रहे हैं या जिनमें ऐसे कचरे के संबंध में कोई संक्रिया चलाई जा रही है ;

xi) कोयला खान या उसी प्रबंध के अधीन की गई कोयला खानों के कर्मचारियों के फायदे के लिए बनाए रखे गए सभी अस्पताल और कैन्टीनें ;

---

1. 1971 की अधिनियम सं. 16 धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित (23 अप्रैल, 1971 से प्रभावी)
2. 1976 की अधिनियम सं. 99 धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित (पहली अगस्त, 1976 से प्रभावी)
3. 1971 की अधिनियम सं. 16 धारा 3 द्वारा विलोपित (23 अप्रैल, 1971)
4. 1976 की अधिनियम सं. 99 द्वारा प्रतिस्थापित (पहली अगस्त, 1976 से प्रभावी)
5. मूल उप धारा (2) के लिए ए ओ 1950 द्वारा प्रतिस्थापित
6. 1970 की अधिनियम सं. 51 द्वारा "जम्मू–कश्मीर राज्य के सिवाय" विलोपित
7. 1970 की अधिनियम सं. 51, धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित
8. 1965 की अधिनियम सं. 45 द्वारा अंतःस्थापित
9. पूर्वोक्त द्वारा प्रतिस्थापित

---

xii) कोई कोक भट्टी या प्लांट ;

xiii) कोयला खान में का या उसके पार्श्वस्थ और कोयला खान का कोई परिसर जिस पर कोयला खान से संसक्त कोई प्लांट या अन्य मशीनरी स्थित है या जिस पर कोयला खान के काम की अनुषंगी कोई प्रक्रिया चलाई जा रही है ।

ग) "अभिदाय" से वह अभिदाय अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के अधीन विरचित कोयला खान भविष्य निधि–स्कीम के अधीन किसी सदस्य के बारे में संदेय है (या किसी ऐसे सदस्य के बारे में संदेय है जिस पर बीमा स्कीम लागू होती है)

[2](घ) “कर्मचारी” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कोयला खान में या उसके संबद्ध में किसी किस्म के काम में, चाहे वह शारीरिक हो या अन्य, मजदूरी पर नियोजित है और जो नियोजक से सीधे या परोक्षतः अपनी मजदूरी पाता है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं :–

(1) कोई व्यक्ति जो कोयला खान में या उसके संबंध में ठेकेदार द्वारा या के माध्यम से नियोजित है, तथा

(2) कोयला खान भविष्य–निधि स्कीम के प्रयोजनों के लिए,

(i) कोई अन्य व्यक्ति भी जो कोयला खान में या उसके संबंध में सफाई कर्मकार, माली, अध्यापक या घरेलू नौकर के रूप में नियोजित है जो नियोजक से सीधे मजदूरी पाता है ; तथा

(ii) कोई शिक्षु या प्रशिक्षणार्थी भी जो नियोजक से वृत्तिका या अन्य पारिश्रमिक पाता है ;

[2] (ड.) “नियोजक” से जब कि वह किसी कोयला खान के संबंध में प्रयुक्त हुआ है, कोई ऐसा व्यक्ति, जो कोयला खान या उसके किसी भाग का अव्यवहित स्वत्वधारी, पट्टेदार या अधिभोगी है, और ऐसी कोयला खान की दशा में जिसका कारबार समापक या रिसीवर द्वारा चलाया जा रहा है, वह समापक या रिसीवर, अभिप्रेत है, और किसी ऐसी कंपनी के स्वामित्व में की कोयला खान की दशा में, जिसका कारबार प्रबंध अभिकर्ता अभिप्रेत है ; किन्तु इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति नहीं आता है जो उस कोयला खान से केवल स्वामित्व, भाटक या नजराना प्राप्त करता है या ऐसी कोयला खान का स्वत्वधारी मात्र है जो कार्यकरण के लिए किसी पट्टे, अनुदान या अनुज्ञप्ति के अध्यधीन है या केवल मृदा का स्वामी है और उस कोयला खान या उसके किसी भाग के कार्यकरण का कोई ठेकेदार उसी प्रकार से इस अधिनियम के अध्यधीन होगा मानो वह नियोजक हो, किन्तु इस प्रकार नहीं कि नियोजक को किसी दायित्व से छूट मिल जाए ।

(च) “निधि” से कोयला खान भविष्य निधि स्कीम के अधीन स्थापित भविष्य–निधि अभिप्रेत है ; [1](xxx)

[5](चक) “बीमा निधि” से धारा 3–छ उप धारा (2) के अधीन स्थापित निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि अभिप्रेत है ;

(च ख) "बीमा स्कीम" से धारा 3 छ की उप धारा (1) के अधीन विरचित कोयला खान निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम अभिप्रेत है ;

[5](च ग)"प्रबंध अभिकर्ता" का वही अर्थ है जो उसे कंपनी अधिनियम, 1956 में समनुदिष्ट है; तथा

(छ) "सदस्य" से निधि का सदस्य अभिप्रेत है ।

(ज) (झ) ( ) शामिल किए गए ।

---

1. 1976 की अधिनियम सं. 99, धारा 4 द्वारा अंतःस्थापित (पहली अगस्त 1976 से प्रभावी)
2. 1965 की अधिनियम संख्या 45 द्वारा प्रतिस्थापित (पहली अगस्त, 1966 से प्रभावी)
3. 1971 की अधिनियम सं. 16, धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित (23 अप्रैल 1971 से प्रभावी)
4. 1965 की अधिनियम सं. 45 द्वारा "और" शब्द विलोपित किया गया ।
5. खंड (च च ) खंड (च ग) के रूप में संबंधित है और 1976 की अधिनियम सं. 99, धारा 4 द्वारा खंड (च ग) खंड (च क) और खंड (च ख) अंतःस्थापित किए गए ।

## टिप्पणियां

कोयला खान के स्वामी :– एस.के. राव बनाम राज्य में केस के तथ्य इस प्रकार थे कि भोवरा कोक संयंत्र मूलतः ईस्ट कोल कंपनी के स्वामित्वाधीन भोवरा कोयला खान समूह से संबद्ध था लेकिन बाद में 1945 से 1947 के बीच किसी समय यह कोक संयंत्र बेचे जाने पर याचिकाकर्त्ता को हस्तांतरित हो गया था । भोवरा कोयला खान समूह ने बाद में इसे भोवरा कनकनी कोलरीज लिमिटेड को बेच दिया । याचिकाकर्त्ता इस कोक संयंत्र का स्वामी है और उस भूमि का पट्टेदार है जिस पर भूमि के लिए भूमि का किराया देकर कुछ रायल्टी का भुगतान करके यह कोयला संयंत्र स्थित है, तत्समय पट्टाधारक भोवरा कनकनी कोलरीज लिमिटेड के स्वामित्वाधीन कोयला खान और कोयलाफील्ड क्षेत्र था जहां भोवरा कोयला संयंत्र और कोक संयंत्र अवस्थित है । कोक संयंत्र न केवल कोयला खान के पार्श्वस्थ है बल्कि भूमि की उस सतह पर अवस्थित है जो उस कोलफील्ड का हिस्सा बनती है जिसके समीप और नीचे भोवरा कनकनी कोलरीज लिमिटेड की कोयला खान काम करती है । याचिकाकर्ता किसी कोयला खान का कार्य वहां नहीं करता है क्योंकि कोयला प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए किसी संक्रिया द्वारा वह कोयले का उत्खनन नहीं करता है । कोक संयंत्र एक उपोत्पाद कोक संयंत्र है जिसमें हार्डकोक और कुछ अन्य उपोत्पादों का विनिर्माण होता है । यह निर्धारित किया जाना है कि क्या उपर्युक्त की प्राप्ति पर यह ठहराया जा सकता है कि इस अधिनियम और इस स्कीम के अर्थ में याचिकाकर्ता कोयला खान का मालिक है ?

अर्थान्वयन की दृष्टि से यह ठहराया जाएगा कि सभी कार्य, मशीनरी ट्रामवे और साइडिंग, चाहे वे भूमि के उपर हो अथवा नीचे या कोयला खान के पार्श्वस्थ हों, परिभाषा के दायरे में केवल तभी आते हैं जब वे कोयला खान से संबंधित हों । इसका अर्थ यह है कि इस अधिनियम में दी गई मुख्य परिभाषा में "कोयला खान से संबंधित" अभिव्यक्ति से पूर्व आने वाले शब्द "अथवा" का निर्वचन "और" के अर्थ में किया जाएगा अन्यथा विषम परिणाम प्राप्त होंगे । कोई कार्य या ट्रामवे या साइडिंग, यदि वे स्वामित्व के अर्थ में कोयला खान से संबंधित नहीं हैं तो उन्हें अधिनियम की धारा 2 के खंड (च क) के पहले भाग में यथावर्णित "कोयला खान" अभिव्यक्ति के अर्थ में नहीं आते । उन्हें सहायक कार्य, मशीनरी अथवा इसी अर्थ में लिया जाएगा यदि वे कोयला प्राप्त करने के प्रयोजन से चलाई जा रही संक्रिया द्वारा उत्खनन कार्य करने के अर्थ में कोयला खान से संबंधित हो ।

यह ठहराया गया है कि याचिकाकर्ता के स्वामित्वाधीन कोक संयंत्र अधिनियम या स्कीम के अर्थ में कोयला खान अथवा कोलरी नहीं है । अतः उक्त संयंत्र उनके उपबंधों के अधीन नहीं है और इन उपबंधों से उसे शासित नहीं किया जा सकता । अतः याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि विधि की दृष्टि से दोषपूर्ण है और उसे अपास्त किया जाना चाहिए ।

इसके परिणामस्वरूप आवेदन मंजूर किया जाता है । याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज किए गए सिद्धदोष और उस पर अध्यारोपित की गई सजा के अपास्त किया जाता है ।[2]

"मजदूरी" में बोनस भी सम्मिलित है जो अपने नियोजन के अनुसार नियोजित व्यक्ति को देय होगा । यदि बोनस का भुगतान अवैध रूप से किया जाता है तो मजदूरी में से इसकी कटौती हो सकती है ।[3]

<u>कोयला खान– बी हाइव भट्टी</u> – धारा 2 (ख) के खंड (xii) में दिए अनुसार कोई भट्टी या संयंत्र कोयला खान नहीं बन सकता जब तक कि वह किसी प्रकार से उत्खनन कार्य से संबद्ध न हो जहां कोयले की खोज अथवा प्राप्ति के प्रयोजन के लिए कोई सक्रिय चलाई गई हो अथवा चलाई जा रही हो ।

<u>कोयला खान भविष्य निधि– आयुक्त यदि लोक सेवक हो</u> – सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (17) (छ) में "सेवा" शब्द का अर्थ अनिवार्यतः केवल सरकार के आदेशों के अधीन अथवा सरकार के नियंत्रणाधीन होने से कुछ अधिक होता है । "सेवा" करने का अर्थ है कार्य करना, अपेक्षानुसार कार्य करना । सरकार द्वारा नियुक्त आयुक्त इस अधिनियम और उसके अधीन स्कीम में यथा परिकल्पित कार्यों का निष्पादन करता है । यदि वह वास्तव में भविष्य निधि आयुक्त की क्षमता में कार्य कर रहा है तो वह सरकारी सेवा में अधिकारी नहीं रह जाता है । मौजूदा मामले में भविष्य निधि आयुक्त अपने पद के कारण "सरकार द्वारा नियुक्ति पर आयुक्त" पद धारण करता है । उसकी सेवाएं अस्थायी रूप से कोई बोर्ड के अधिकार में होती है, इसलिए वह सरकारी सेवा में बना रहता है । निधि से उसके वेतन के भुगतान से सरकारी कर्मचारी की हैसियत में कोई परिवर्तन नहीं होता ।

4. यह निर्णय दिया गया था कि निचली अदालतों में यह निर्णय देने में गलती की है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2(17) (छ) के अनुसार कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त लोक अधिकारी नहीं है ।

3. <u>कोयला खान भविष्य निधि – स्कीम :</u> (1) केंद्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि– के स्थापनार्थ कोयला खान भविष्य निधि स्कीम कही जाने वाली एक स्कीम विरचित कर सकेगी और उन कोयला खानों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिनको उक्त स्कीम लागू होगी ।

3(1क) निधि धारा 3क के अधीन गठित बोर्ड में निहित होगी और उसके द्वारा प्रशासित की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन विरचित स्कीम प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सब बातों के लिए या उनमें से किसी के लिए उपबंध कर सकेगी ।

3(3–क)न्यासी बोर्ड का गठन (1) केंद्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी तारीख से, जैसी उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, उन राज्य क्षेत्रों के लिए, जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, एक न्यासी बोर्ड [जिसे एतस्मिनपश्चात इस अधिनियम में बोर्ड कहा गया है] गठित कर सकेगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात् –

(क) एक अध्यक्ष, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ;

(ख) कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त – पदेन

(ग) तीन व्यक्ति, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएं

(घ) उन राज्य सरकारों का, जिन्हें केंद्रीय सरकार समय–समय पर इस निमित विनिर्दिष्ट करें, प्रतिनिधित्व करने वाले छह से अनधिक व्यक्ति, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ;

(ड.) नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले छह व्यक्ति, जो नियोजकों के ऐसे संगठनों से, जिन्हें केंद्रीय सरकार से इस निमित मान्यता प्राप्त हो, परामर्श के पश्चात केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और जिनमें से कम से कम एक व्यक्ति ऐसा होगा जो किसी भी ऐसे संगठन का सदस्य न हो ;

(च) कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले छह व्यक्ति, जो कर्मचारियों के ऐसे संगठनों से, जिन्हें केंद्रीय सरकार से इस निमित मान्यता प्राप्त हो, परामर्श के पश्चात केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और जिनमें से कम से कम एक व्यक्ति ऐसा होगा जो किसी भी ऐसे संगठन का सदस्य न हो ;

(2) वे निबंधन और शर्तें जिनके अध्यधीन बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया जा सकेगा और बोर्ड के अधिवेशनों का समय, स्थान और प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी कोयला खान भविष्य निधि स्कीम में उपबंधित की जाए ।

(3) बोर्ड [धारा–3 ड. के उपबन्धों के अधीन] [और धारा 3 च] अपने में निहित निधि का प्रशासन ऐसी रीति से करेगा जैसी पूर्वोक्त स्कीम में विनिर्दिष्ट हो ।

(4) बोर्ड अन्य ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जिनके पालन करने की अपेक्षा (कोयला खान भविष्य निधि स्कीम) (कोयला खान परिवार पेंशन स्कीम) और [बीमा स्कीम] के किन्हीं उपबंधों द्वारा या के अधीन उससे की जाए ।

3. ख न्यासी बोर्ड का निगमित निकाय होना– धारा 3 क अधीन गठित न्यासी बोर्ड उसे गठित करने वाली अधिसूचना में विनिर्दिष्ट नाम का एक निगमित निकाय होगा, उसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी तथा उक्त नाम से वह वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा ।

---

1. कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त बनाम रमेश चन्द्र झा, 1990 बी.बी. सी जे 43, पृष्ठ सं.44, 45 (एस.सी.) पर
2. 1950 की अधिनियम संख्या 80 द्वारा प्रतिस्थापित
3. 1965 की अधिनियम संख्या 45 द्वारा अंतःस्थापित (पहली अप्रैल, 1966 से प्रभावी)
4. 1971 की अधिनियम संख्या 16, धारा 6 द्वारा अंतःस्थापित (23 पअैल, 1971 से प्रभावी)
5. 1976 की अधिनियम संख्या 99 धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित (पहली अगस्त, 1976 से प्रभावी)
6. 1971 की अधिनियम संख्या 16, धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित (22 अप्रैल, 1971 से प्रभावी)
7. 1976 की अधिनियम संख्या 99, धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित पहली अप्रैल, 1976 से प्रभावी)

---

## टिप्पणी

निगम और निगमित निकाय परस्पर परिवर्तनीय होते हैं और दंड संहिता की धारा 21 के खंड (12) में "निगमित निकाय" शब्द का प्रयोग न होने से कोई निगमित निकाय निगम की परिधि से बाहर नहीं हो जाएगा । अतः उक्त खंड के अधीन निगम का अर्थ निगमित निकाय होगा और निगमित निकाय का कोई भी कर्मचारी लोक सेवक होगा ।

3.ग <u>अफसरों की नियुक्ति</u> : (1) केंद्रीय सरकार एक कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त नियुक्त करेगी, जो बोर्ड का मुख्य कार्यपालक ऑफिसर होगा और बोर्ड के साधारण नियंत्रक और अधीक्षक के अध्यधीन होगा ।

(2) केंद्रीय सरकार अन्य इतने, जितने वह कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता देने के लिए आवश्यक समझे, ऑफिसर भी, जिनका न्यूनतम मासिक संबलम् उनको लागू वेतनमान में (यदि कोई हो) चार सौ रुपए से कम न हो, नियुक्त कर सकेगी ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए बोर्ड अन्य ऐसे ऑफिसर और कर्मचारी, जैसे वह कोयला खान भविष्य निधि स्कीम के दक्ष प्रशासरन के लिए आवश्यक समझे, नियुक्त कर सकेगा ।

(4) <u>कोयला खान भविष्य निधि</u> – आयुक्त की भर्ती का तरीका, उसका संबलम् और भत्ते, अनुशासन तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए और ऐसे संबलम् तथा भत्तों का संदाय निधि में से किया जाएगा ।

(5) बोर्ड के अन्य ऑफिसरों तथा कर्मचारियों की भर्ती का तरीका, उनके संबलम् और भत्ते, अनुशासन तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

## <u>टिप्पणी</u>

<u>कोयला खान भविष्य निधि – आयुक्त लोक अधिकारी है</u> :–

भविष्य निधि आयुक्त अपने पद के कारण सरकार द्वारा नियुक्ति पर आयुक्त के पद को धारण करता है । उसकी सेवाएं अस्थायी रू‍प से बोर्ड के अधिकार में होती हैं ; इसलिए वह सरकारी सेवा में बना रहता है । निधि से उसके वेतन के भुगतान से सरकारी कर्मचारी की हैसियत में कोई परिवर्तन नहीं होता । यह निर्णय दिया गया था कि निचली अदालतों ने यह निर्णय देने में गलती की है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (17) (छ) के अनुसार कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त लोक अधिकारी नहीं है ।

3 घ. <u>लेखाओं का अंतरण</u> :– (1) जहां कि कोई कर्मचारी, जो उस कोयला खान की जिसमें वह नियोजित हो, किसी भविष्य निधि का योगदाता हो, किसी कोयला खान भविष्य निधि स्कीम के अनुसार निधि का सदस्य हो जाता है, वहां उस कोयला खान की भविष्य निधि में कर्मचारी के नाम जमा संचय किसी तत्समय प्रवृत्त विधि में या भविष्य निधि को स्थापित करने वाले किसी विलेख या अन्य लिखित में अंतर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किन्तु स्कीम में अन्तर्विष्ट उपबंधों के, यदि कोई हो, अध्यधीन रहते हुए, ऐसे व्यक्ति द्वारा और उतने समय के अंदर जो स्कीम में उपबंधित किया गया हो, निधि को अंतरित किए जाएंगे और उस निधि में कर्मचारी के खाते में जमा किए जाएंगे ।

(2) जहां कि निधि– का कोई सदस्य कोयला खान में अपना नियोजन छोड़ देता है और किसी अन्य स्थापन में (जो ऐसी कोयला खान नहीं है) पुनर्नियोजन अभिप्राप्त कर लेता है और उस स्थापन की किसी भविष्य–निधि का योगदाता बन जाता है, वहां निधि में ऐसे कर्मचारी के नाम जमा संचयों की रकम, उस स्थापना की, जिसमें वह पुनर्नियोजित हो, भविष्य निधि में उसके खाते में जमा किए जाने के लिए इतने समय के भीतर, जितना केंद्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, उस दशा में अंतरित की जाएगी जिसमें कर्मचारी ऐसी वांछा करे और उस भविष्य निधि से संबंधित नियम ऐसे अंतरण को अनुज्ञात करे ।

---

1. जालान चौधरी बनाम लोक अभियोजक धनबाद न्यायालय 1990 अपराध संहिता 431 पृष्ठ सं. 431 पर (पी ए एल)
2. 1976 की अधिनियम संख्या 99 धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित (पहली अगस्त, 1976)
3. कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त बनाम रमेश चन्द्र झा (1990) आई.जी.सी.सी. 589 : 1990 लेब एल सी 577 : 1990 (3) एल आर 370 ए : पी 372

---

(3) जहां कोई कर्मचारी, जो किसी स्थापन की (जो ऐसी कोयला खान नहीं है जिस पर कोयला खान भविष्य निधि स्कीम लागू होती है) किसी भविष्य निधि का योगदाता है, उस स्थापन में अपना नियोजन छोड़ देता है और किसी कोयला–खान में पुनर्नियोजन अभिप्राप्त कर लेता है और निधि का सदस्य बन जाता है, वहां उसके द्वारा छोड़े गए स्थापन की भविष्य निधि में ऐसे कर्मचारी के नाम जमा संचयों की रकम निधि में उसके खाते में जमा किए जाने के लिए उस दशा में अंतरित की जाएगी जिसमें कर्मचारी ऐसी वांछा करे और ऐसी भविष्य निधि से संबंधित नियम अनुज्ञात करें ।

1[3ड.] <u>कोयला खान परिवार पेंशन स्कीम–</u> (1) केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कोयला खान भविष्य निधि स्कीम के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को परिवार पेंशन जीवन बीमा लाभ प्रदान करने के लिए कोयला खान परिवार पेंशन स्कीम कही जाने वाली स्कीम विरचित कर सकेगी ।

2. उक्त स्कीम के विरचन के पश्चात् एक परिवार पेंशन निधि स्थापित की जाएगी जिसमें से प्रत्येक ऐसे कर्मचारी को समय–समय पर भुगतान किया जाएगा ।

(क) उक्त भाग उस राशि के एक–चौथाई से अधिक नहीं होगा जो धारा 10 घ की उपधारा (1) के अधीन उक्त स्कीम में यथा विनिर्दिष्ट नियोक्ता का अंशदान और कर्मचारी के अंशदान की राशि देय हो और

(ख) धारा 10 (घ) की उपधारा (1) के अधीन कर्मचारी के अंशदान में खंड (क) के अनुसरण में देय न्यूनतम कुल राशि और उक्त कर्मचारी के संबंध में उक्त उपधारा के अधीन कर्मचारी के अंशदान के 1/16 हिस्से के बराबर राशि जिसे केंद्रीय सरकार इसके लिए विधि द्वारा संसद द्वारा किए गए उचित विनियोजन के पश्चात् विनिर्दिष्ट करे ।

(3) परिवार पेंशन निधि– बोर्ड में निहित होगी और बोर्ड द्वारा उसका प्रशासन किया जाएगा ।

(4) उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन विरचित कोई स्कीम सभी अथवा किसी के एक मामले के लिए दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है ।

3(च) <u>केंद्रीय सरकार द्वारा विशेष अनुदान</u> – विधि द्वारा संसद द्वारा इस निमित किए गए उचित विनियोजन के पश्चात् केंद्रीय सरकार उक्त स्कीम द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए लाभों की लागत के खर्चों के अलावा कोयला खान परिवार पेंशन स्कीम के प्रशासन से संबंधित सभी खर्चों को वहन करने के लिए परिवार पेंशन निधि में उसके द्वारा निर्धारित की गई राशि का भुगतान करेगी ।

2(3छ) <u>कोयला खान निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम</u>– (1) केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कोयला खान भविष्य निधि–स्कीम के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को जीवन बीमा लाभ प्रदान करने के प्रयोजन से कोयला खान निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम कही जाने वाली स्कीम विरचित कर सकेगी ।

(2) बीमा स्कीम के विरचन के पश्चात एक यथाशीघ्र निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि स्थापित की जाएगी जिसमें नियोक्ता प्रत्येक ऐसे कर्मचारी, जिसका वह नियोक्ता है, के संबंध में समय–समय पर ऐसी राशि का भुगतान करेगा जो उक्त कर्मचारी के तत्समय देय मूल मजदूरी, महंगाई भत्ता और प्रतिधारण भत्त (यदि कोई हो) के कुल जोड़ का अधिकतम एक प्रतिशत हो और जिसे केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में निर्दिष्ट करें ।

<u>स्पष्टीकरण</u> :– इस उपधारा के प्रयोजन से –

(क) 'मूल मजदूरी' – अभिव्यक्ति का अर्थ वही है जो कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) में समनुदेशित है ।

(ख) "महंगाई भत्ते" से अभिप्राय ऐसे नकद भुगतानों से है, चाहे उन्हें कुछ भी नाम दिया जाए, जो किसी कर्मचारी को निर्वाह– व्यय में बढ़ोत्तरी के कारण किया जाए और कर्मचारी को अनुमत खाद्य संबंधी रियायत के नकद मूल्य को भी इसमें सम्मिलित समझा जाएगा ।

---

1. 1971 की अधिनियम संख्या 16, धारा 8 द्वारा अंतःस्थापित (23 अप्रैल, 1971 से प्रभावी)
2. 1976 की अधिनियम संख्या 99, धारा 7 द्वारा अंतःस्थापित (पहली अगस्त, 1976)

(ग) "प्रतिधारण भत्ते" का अभिप्राय ऐसे भत्ते से है जो किसी ऐसी अवधि के दौरान किसी कोयला खान के किसी कर्मचारी को उसकी सेवाओं को बनाए रखने के लिए तत्समय देय हो जिस समय कोयला खान में कार्य न हो रहा हो ।

(3) केंद्रीय सरकार विधि– द्वारा संसद द्वारा उचित विनियोजन के पश्चात् कोयला खान भविष्य निधि–स्कीम में आने वाले प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में उतनी राशि की आधी राशि के समान अंशदान देगी जितनी राशि का अंशदान देना कर्मचारी के लिए उप धारा (2) के अनुसार अपेक्षित है ।

(4)(क) नियोक्ता उक्त स्कीम द्वारा अथवा उसके तहत प्रदान किए गए किसी लाभ की लागत के व्यय के अलावा बीमा स्कीम के प्रशासन के संबंध में सभी व्ययों को पूरा करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित उप धारा (2) के अधीन अपेक्षित अंशदान की अधिकतम एक चौथाई राशि का बीमा निधि में भुगतान करेगा ।

(ख) केंद्रीय सरकार उक्त स्कीम द्वारा अथवा उसके अधीन प्रदान किए गए किसी लाभ की लागत के व्यय के अलावा बीमा स्कीम के प्रशासन से संबंधित सभी व्ययों को पूरा करने के

लिए खंड (क) के अधीन नियोक्ता द्वारा देय राशि की आधी राशि का भुगतान भी बीमा निधि में विधि द्वारा संसद द्वारा उचित विनियोजन के पश्चात् करेगी ।

(5) बीमा निधि– बीमा स्कीम में यथा विनिर्दिष्ट रीति से बोर्ड में निहित होगी और उसके द्वारा प्रशासित की जाएगी ।

(6) उप धारा (1) के उपबंधों के अधीन विरचित कोई स्कीम तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी बातों के लिए अथवा उनमें से किसी एक के लिए उपबंध कर सकेगी ।

4. <u>निधि का 1922 के अधिनियम संख्या 11 के अधीन मान्यताप्राप्त होना</u> : भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि निधि उस अधिनियम के अध्याय 9 क के अर्थ के अंदर मान्यता प्राप्त भविष्य निधि है ।

5. <u>कोयला खान बोनस स्कीम</u> (1) केंद्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, कर्मचारियों को बोनस के संदाय के लिए कोयला खान बोनस स्कीम कही जाने वाली स्कीम विरचित कर सकेगी और उन कोयला खानों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिन पर उक्त स्कीम लागू होगी ।

2) उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन विरचित स्कीम द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट सब बातों के लिए या उनमें से किसी के लिए उपबंध कर सकेगी ।

[3] (3) नियोजक यथापूर्वोक्त स्कीम के अनुसार बोनस का संदाय करेगा ।

6. <u>स्कीम का भूतलक्षी प्रवर्तन</u> : इस अधिनियम के अधीन विरचित स्कीम यह उपबंध कर सकेगी कि उसके उपबंधों में से कोई या तो भूतलक्षी या भविष्यलक्षी रूप में उस तारीख को और से प्रवृत्त होगा जो स्कीम में इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए ।

7. <u>स्कीम का उपांतरण</u> : केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के अधीन विरचित स्कीम में परिवर्धन, संशोधन या फेरफार (भूतलक्षी या भविष्यलक्षी), शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कर सकेगी ।

5 (7–क) <u>स्कीम का संसद के समक्ष रखा जाना</u> : इस अधिनियम के अधीन बनाई गई हर स्कीम बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र संसद के हर एक सदन के समक्ष, उस समय जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर तीस दिन की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखी जाएगी और यदि उस सत्र के, जिसमें वह ऐसे रखी गई हो, या अव्यवहित पश्चात्वर्ती सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस स्कीम में कोई उपांतर करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह स्कीम नहीं बनाई जानी चाहिए जो तत्पश्चात्, यथास्थिति, वह स्कीम ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावशील होगी या उसका कोई भी प्रभाव न होगा, किन्तु ऐसे कि कोई ऐसा उपान्तर या बातिलकरण उस

स्कीम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा ।

---

अब आयकर अधिनियम, 1961 देखें (1961 का 43 ग)

1. 1956 की अधिनियम संख्या 80 द्वारा प्रतिस्थापित
2. 1976 की अधिनियम संख्या 99, धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित (पहली अगस्त 1976 से प्रभावी)
3. 1965 की अधिनियम संख्या 45 द्वारा अंतःस्थापित (पहली अप्रैल 1966 से प्रभावी)
4. 1976 अधिनियम सं. 99, धारा 9 द्वारा अंतःस्थापित (पहली अगस्त, 1976)
5. 1965 की अधिनियम संख्या 45 द्वारा अंतःस्थापित (पहली अप्रैल, 1966 से प्रभावी)
6. 1976 की अधिनियम संख्या 99, धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित (पहली अगस्त, 1976)

7(ख)(1) **नियोजकों द्वारा शोध्य धन का अवधारण**– कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त या केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई अन्य ऑफिसर, इस अधिनियम के या तदधीन विरचित किसी स्कीम के किसी उपबंध के अधीन किसी नियोजक द्वारा शोध्य रकम का अवधारण आदेश द्वारा कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए ऐसी जांच कर सकेगा जैसी वह आवश्यक समझे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन जांच करने वाले आफिसर को ऐसी जांच के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित मामलों अर्थात् –

(क) उपधारा (1) के अधीन जांच करने वाले आफिसर को ऐसी जांच के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित मामलों अर्थात् –

(ख) दस्तावेजों का प्रकट करने और पेश करने की अपेक्षा करने ;

(ग) शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने ;

(घ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालने के बारे में वही शक्तियां होगी जो वाद का विचारण करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन न्यायालय में निहित होती है और कोई भी ऐसी जांच भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ के अंदर और धारा 196 के प्रयोजन के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी ।

(3) किसी नियोजन द्वारा शोध्य रकम अवधारित करने वाला कोई आदेश उपधारा (1) के अधीन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक नियोजक को अपना मामला अभ्यावेदित करने का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो ।

(4) इस धारा के अधीन किया गया आदेश अन्तिम होगा और किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

8. **कुर्की के विरुद्ध संरक्षण** – (1) भविष्य निधि की वह रकम, जो निधि में किसी सदस्य के नाम जमा है, किसी भी प्रकार समनुदिष्ट या भारित किए जाने योग्य न होगी और उस सदस्य द्वारा उपगत किसी ऋण या दायित्व के बारे की किसी बिक्री या आदेश के अधीन कुर्की के दायित्व के अधीन न होगी और न शासकीय समनुदेशिती तथा न कोई रिसीवर, जो प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 (1920 का 5) के अधीन नियुक्त हो, ऐसी किसी रकम का हकदार होगा या उस पर कोई दावा रखेगा ।

(2) कोई रकम जो निधि में किसी सदस्य के नाम उसकी मृत्यु के समय जमा है और कोयला खान भविष्य निधि स्कीम के अधीन उसके नाम निर्देशिती को संदेय है, उक्त स्कीम द्वारा प्राधिकृत किसी कटौती के अध्यधीन रहते हुए, नामनिर्देशिती में निहित होगी, और मृतक द्वारा उपगत या उस सदस्य की मृत्यु के पूर्व नामनिर्देशिती द्वारा उपगत किसी ऋण या अन्य दायित्व से मुक्त होगी ।

[1](3) उप धारा (1) और उपधारा (2) के उपबंध यथासंभव परिवार पेंशन या कोयला खान परिवार पेंशन स्कीम [2](और उक्त निधि से देय किसी अन्य राशि के संबंध में) के अधीन देय किसी अन्य राशि पर लागू होंगे ।

9. शास्ति – 3 (11) यदि कोई व्यक्ति –

(क) इस अधिनियम के या तद्धीन विरचित किसी स्कीम के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा ;

(ख) जो यथापूर्वोक्त दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जा चुका है, पूर्व दोषसिद्धि की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के अंदर ऐसे किसी अपराध का फिर दोषी होगा, तो वह कोई सिद्ध किए जाने पर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा ।

(2) कोई भी न्यायालय उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय किसी भी

---

1. 1971 की अधिनियम संख्या 16, धारा 10 द्वारा अंतःस्थापित (23 अप्रैल, 1971 से प्रभावी)
2. 1976 की अधिनियम संख्या 99, धारा 11 द्वारा अंतःस्थापित (पहली अगस्त 1976 से प्रभावी)
3. 1965 की अधिनियम संख्या 45 द्वारा प्रतिस्थापित (पहली अप्रैल, 1966 से प्रभावी)
4. 1965 की अधिनियम संख्या 45 द्वारा प्रतिस्थापित (पहली अप्रैल 1966 से प्रभावी)

अपराध का संज्ञान, उस अपराध को गठित करने वाले तथ्यों की, ऐसी प्राधिकारी, की जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, पूर्व मंजूरी से की गई लिखित रिपोर्ट पर करने के सिवाय नहीं करेगा ।

(3) प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई भी न्यायालय, उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध विचारण नहीं करेगा ।

## टिप्पणियां

क्षेत्र : कोयला खान भविष्य निधि और बोनस स्कीम अधिनियम, 1948 की धारा 9 किसी भी न्यायालय को इस स्कीम के अधीन दण्डनीय किसी भी अपराध का संज्ञान, उस अपराध को गठित करने वाले तथ्यों की, ऐसी प्राधिकारी की, जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, पूर्व मंजूरी से निरीक्षक द्वारा की गई लिखित रिपोर्ट के अलावा लेने पर निषेध करती है ।

सह सुस्थापित है कि कंपनी का अपने शेयरधारकों से भिन्न विधिक अस्तित्व है । कंपनी का एक पृथक विधिक अस्तित्व है । कंपनी का एक पृथक विधिक अस्तित्व है । इसे अभियोजित किया जा सकता है यदि यह अभिकथित किया जाता है कि यह दोषपूर्ण कार्य है जिससे यह दांडिक परिनियम के उपबंधों के अधीन दण्डनीय हो जाता है । स्कीम के पैरा 12 में निहित उपबंधों से "नियोक्ता" पर देयता सृजित हो जाती है ।

निदेशक कोयला खान या उसके किसी हिस्से के न तो स्वामी होते हैं न ही पट्टेदार और न ही अधिभोगी होते हैं, इस मामले में पट्टेदार अथवा अधिभोगी कंपनी ही रहेगी । अतः निदेशकों के उस मंजूरी के तहत वैध रूप से अभियोजित नहीं किया जा सकता है जो मंजूरी कंपनी पर अभियोजन करने के लिए यह कथन करते हुए दी गई है कि कंपनी के स्वामियों को अभियोजित किया जाए । यदि किसी मामले में अपराध का दंड केवल कारावास न होकर यथास्थिति कारावास या जुर्माना हो तो निस्संदेह कंपनी को अभियोजित किया जा सकेगा और उस पर जुर्माना लगाया जा सकेगा ।[2]

क्योंकि अपराध के लिए निर्धारित दंड वैकल्पिक रूप से कारावास या जुर्माना या इसलिए यह स्पष्ट है कि ऐसे मामले में कंपनी को उचित दंड दिया जा सकेगा और किसी अपराध को करने की कंपनी की कोशिश के संबंध में इस वैकल्पिक उपबंध से न्यायालय की अधिकारिता विफल नहीं होती । अतः कंपनी को अभियोजित करने के संबंध में दी गई मंजूरी निदेशकों को अभियोजित करने के लिए प्रयोग नहीं की जा सकती है ।[3]

यदि याचिकाकर्ता "नियोजक" की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं तो यह उन पर होगा कि यथासंभव उत्तम तरीकों से अपने हितों का स्वयं ध्यान रखें परंतु अधिनियम या योजना के तहत निर्धारित दायित्वों से मुक्त नहीं हो सकते ।

<u>गंभीर अपराध के लिए अभियोजन</u> : केवल इस आधार पर आपराधिक कार्यवाहियों के वादपोषण को प्रतिबंधित नहीं किया जाता है कि यह भारतीय दंड संहिता के अधीन है जो एक सामान्य अधिनियम है न कि कोयला खान भविष्य निधि और बोनस स्कीम अधिनियम, 1948 के अधीन जो कि विशेष अधिनियम है, जिसकी धारा 9(2) के अधीन मांगी गई मंजूरी गंभीर अपराध है जहां तक सामान्य अधिनियम के अधीन अपराध के संबंध में की गई कार्रवाई का संबंध है ।[4]

धारा 9 के अधीन नियुक्त व्यक्ति और ऐसा व्यक्ति जिसे धारा 5 के अधीन निधि से भुगतान किया गया है स्पष्ट रूप से कोयला खान के नियम 42 के उपबंधों और श्रम निधि नियमों के अंतर्गत आता है और उसे सरकारी कर्मचारी नहीं समझा जाएगा । आवश्यक विवक्षा द्वारा धारा 9(2) इस स्थिति का समर्थन करती है कि धारा 9 के अधीन नियुक्त व्यक्ति अन्यथा सरकारी कर्मचारी नहीं होगा ।[5]

10. <u>निरीक्षक</u> – (1) केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें वह ठीक समझे, कोयला खान भविष्य निधि स्कीम या कोयला खान बोनस स्कीम के प्रयोजनों के लिए निरीक्षक नियुक्त कर सकेगी और उनकी अधिकारिता परिनिश्चित कर सकेगी ।

(2) निरीक्षक, अपनी अधिकारिता के अंदर की कोयला खान के बारे में – [7](क) नियोजक से या किसी ऐसे ठेकेदार से, जिससे कोई रकम धारा 103 के अधीन वसूलीय है, यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह कोयला खान में व्यक्तियों के नियोजन से संबंधित है –

---

1. 1955 की अधिनियम संख्या 45 द्वारा प्रतिस्थापित (पहली अप्रैल, 1966 से प्रभावी)
2. मध्य प्रदेश राज्य बनाम डी.वी.आई.आर., 1964 ? एम.पी. 222 पृष्ठ संख्या 223, 224 पर
3. डी.एन. घोष बनाम अवर सेशन न्यायाधीश, ए.आई.आर. 1959 केल 208 पृष्ठ संख्या 213 पर
4. एल.एन.के. झाझना बनाम चन्द्र 1947 लेब आई.सी. 685 पृष्ठ सं. 686, 689 (केल)
5. एस.एस. गंगा बनाम कोयला नियंत्रक 1974 लेब आई सी 45, पृष्ठ संख्या 48 (केल) पर
6. 1976 की अधिनियम संख्या 99, धारा 12 द्वारा अंतःस्थापित (पहली अगस्त, 1976 से प्रभावी)
7. 1965 की अधिनियम संख्या 45 द्वारा प्रतिस्थापित (पहली अगस्त, 1966 से प्रभावी)

(i) ऐसी जानकारी दे, अथवा

(ii) ऐसे लेखा, पुस्तकें, रजिस्टर और अन्य दस्तावेज निरीक्षक के कार्यालय में या अन्य ऐसे स्थान में जो, यथास्थिति, नियोजक या ठेकेदार के निकटतर हो, पेश करे,
जैसे निरीक्षक इस अधिनियम के अधीन विरचित किसी स्कीम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे ;

(ख) यदि युक्तियुक्त समय पर और ऐसी सहायता के साथ, यदि कोई हो, जैसी वह ठीक समझे, किसी भी कोयला खान में प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा और उसका भारसाधक पाए गए व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उस कोयला खान में व्यक्तियों के नियोजन से संबंधित ऐसे लेखाओं, पुस्तकों, रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों को, जिन्हें वह आवश्यक समझे, उसके समक्ष पेश करें ;

(ग) पूर्वोक्त प्रयोजनों में से किसी सुसंगत किसी बात के बारे में नियोजक की, या किसी ऐसे ठेकेदार की, जिससे कोई रकम धारा 103 के अधीन वसूलीय हो, उसके अभिकर्ता या सेवक की या उस कोयला खान के भारसाधक पाए गए किसी अन्य व्यक्ति की, [3](***) या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति की, जिसके बारे में निरीक्षक के पास यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त हेतुक है कि वह उस कोयला खान में कर्मचारी है या रहा है, परीक्षा कर सकेगा ;

4(घ) कोयला खान के संबंध में रखे गए किन्हीं लेखाओं, पुस्तकों, रजिस्टरों या अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपियां बना सकेगा या उनसे उद्धरण ले सकेगा और जहां कि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध नियोजक या ठेकेदार द्वारा किया गया है, वहां ऐसे लेखाओं, पुस्तकों, रजिस्टरों या अन्य दस्तावेजों या उनके प्रभागों का, जिसे या जिन्हें वह उस अपराध के बारे में सुसंगत समझे, ऐसी सहायता से, जैसी वह ठीक समझे, अभिगृहीत कर सकेगा ;

(ड.) अन्य ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जिन्हें ऐसी कोई स्कीम उपबंधित करे ।

4(2क) हर व्यक्ति, जिससे कोई जानकारी देने या कोई दस्तावेज पेश करने की अपेक्षा उपधारा (2) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन की जाए ; भारतीय दंड संहिता की धारा 175 (1860 का 45) के अर्थ के अंदर ऐसा करने के लिए वैध रूप से आबद्ध समझा जाएगा ।

(2ख) दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 के उपबंध यावत्शक्य उपधारा (2) के अधीन की किसी तलाशी या अभिग्रहण को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे क वे उक्त संहिता की धारा 98 (1898 का 5) के अधीन निकाले गए वारंट के प्राधिकार के अधीन की गई तलाशी या किए गए अभिग्रहण को लागू होते हैं ।

(3) हर निरीक्षण भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21(1860 का 45) के अर्थ के अंदर लोक सेवक समझा जाएगा ।

[5](10क <u>नियोजक द्वारा शोध्य धन की वसूली का ढंग</u> – इस अधिनियम के अधीन विरचित किसी स्कीम के अधीन किसी अभिदाय या बोनस के बारे में नियोजक द्वारा शोध्य कोई रकम, या धारा 3 घ की उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन अंतरित किए जाने के लिए अपेक्षित कोई संचय, या धारा 10 च के अधीन वसूलीय कोई नुकसानी, या ऐसी किसी स्कीम के प्रशासन के बारे में इस अधिनियम के अधीन नियोजक द्वारा संदेय कोई प्रभार केंद्रीय सरकार द्वारा उसी रीति से वसूल किए जा सकेंगे जिससे भू–राजस्व की बकाया वसूल की जाती है ।

<u>**टिप्पणी**</u>

केंद्रीय सरकार प्रमाण पत्र प्रक्रिया के अधीन भविष्य निधि अधिनियम की धारा 10 क के अधीन बकाया राशि की वसूली से पूर्व प्रतिपूर्ति की राशि से बकाया राशि की वसूली की व्यवहार्यता और मालिक से सीधे बकाया राशि की वसूली में निहित कठिनाई, यदि संभव हो तो, उससे बचा जाना चाहिए, पर विचार कर सकती है । लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि यदि केंद्रीय सरकार धारा 10–क के अधीन बकाया की वसूली का निर्णय करती है तो वसूली की कार्यवाहियों को विधिक ठहराया जा सकता है ।

---

1. 1965 की अधिनियम संख्या 45 द्वारा प्रतिस्थापित (पहली अप्रैल 1965 से प्रभावी)
2. 1965 की अधिनियम संख्या 45 द्वारा अंतःस्थापित (पहली जनवरी, 1966 से प्रभावी)
3. 1965 की अधिनियम संख्या 45 द्वारा विलोपित (पहली अप्रैल, 1966 से प्रभावी)
4. पूर्वोक्त द्वारा अंतःस्थापित
5. 1951 की अधिनियम संख्या 21 द्वारा अंतःस्थापित

[2](10ख कतिपय दशाओं में नियोजक का अवधारण– (1) जहां कि नियोजक कोई फर्म या व्यक्तियों का संगम है वहां उसके सभी भागीदार या सदस्य या उनमें से कोई भी अथवा, जहां कि नियोजक कोई कंपनी है वहां उसके सब निदेशक या उनमें से कोई भी किसी ऐसे अपराध के

लिए, जिसके लिए नियोजक दण्डनीय है, इस अधिनियम के अधीन अभियोजित औद दंडित किया जा सकेगा ;

परंतु जहां कि किसी फर्म, संगम या कंपनी ने कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त को या इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी आफिसर को लिखित सूचना दे दी है कि उसने–

(क) किसी फर्म की दशा में अपने भागीदारों में से किसी को,

(ख) किसी संगम की दशा में अपने सदस्यों में से किसी को,

(ग) किसी कंपनी की दशा में, अपने निदेशकों में से किसी को, जो हर एक दशा में किसी ऐसे स्थान का निवासी है जिस पर इस अधिनियम का विस्तार है और जो हर एक दशा में या तो ऐसी फर्म, संगम या कंपनी के प्रबंध का वस्तुतः भारसाधक है या उसमें अंशों की अधिकतम संख्या का धारक है, इस अधिनियम के या तद्धीन विरचित किसी स्कीम के प्रयोजनों के लिए नियोजक का उत्तरदायित्व संभालने के लिए नामनिर्दिष्ट कर दिया है, वहां, यथास्थिति, ऐसा भागीदार, सदस्य या निदेशक, जब तक वह इस प्रकार निवास करता रहे और यथापूर्वोक्त भारसाधक बना रहे या अंशों की अधिकतम संख्या धारण करता रहे, इस अधिनियम के या तद्धीन विरचित किसी स्कीम के प्रयोजनों के लिए नियोजक तब के सिवाय समझा जाएगा जबकि उसका नामनिर्देशन रद्द करने वाली या यह कधन करने वाली कि वह, यथास्थिति, भागीदार, सदस्य या निदेशक नहीं रह गया है, लिखित सूचना कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त या इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट आफिसर को प्राप्त हो जाती है ।

(2) जहां कि कोई नियोजक सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकारी है वहां कोयला खान के कार्यकलाप का प्रबंध करने के लिए यथास्थिति, ऐसी सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत सब आफिसरों या व्यक्तियों को या उनमें से किसी को भी, किसी तत्समय प्रवृत्त विधि या संविदा में अंतर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी, कोयला खान के बारे में नियोजक समझा जाएगा और ऐसे किसी अपराध के लिए, जिसके लिए नियोजक दण्डनीय है, इस अधिनियम के अधीन अभियोजित और दंडित किया जा सकेगा ।

10 ग) <u>शक्तियों का प्रत्यायोजन</u> (1) केंद्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम या तद्धीन विरचित किसी स्कीम के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य कोई शक्ति ऐसी शर्तों के अध्यधीन, यदि कोई हों, जैसी उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त द्वारा भी या केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी आफिसर द्वारा भी प्रयोक्तव्य होगी ।

2) बोर्ड अपने अध्यक्ष को या कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त को या बोर्ड के किसी अन्य आफिसर को, इस अधिनियम के या तद्धीन विरचित किसी स्कीम के अधीन की बोर्ड की ऐसी शक्तियां और ऐसे कृत्य जिन्हें बोर्ड इस अधिनियम विरचित किसी स्कीम के दक्ष

प्रशासन के लिए आवश्यक समझे, ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के, यदि कोई हो, अध्यधीन, जैसे बोर्ड विनिर्दिष्ट करे, प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

10 घ. <u>अभिदाय का नियोजकों द्वारा संदाय और सदस्यों से उसकी वसूली वह अभिदाय जिसे एतस्मिनपश्चात् नियोजक</u>– अभिदाय कहा गया है) नियोजक द्वारा और वह अभिदाय (जिसे एतस्मिनपश्चात् कर्मचारी– अभिदाय कहा गया है) कर्मचारी द्वारा उस दर से संदेय होगा जो कोयला खान भविष्य निधि स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए और नियोजक नियोजक– अभिदाय तथा कर्मचारी–अभिदाय भी, संदत्त करेगा चाहे उसने अभिदाय का कर्मचारी वाला अंश कर्मचारी से वसूल किया हो या नहीं ।

(2) किसी सदस्य की ओर से नियोजक द्वारा संदत्त अभिदाय की रकम किसी अन्य तत्समयप्रवृत्त विधि में या किसी संविदा में अंतर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी, सदस्य की मजदूरी में से कटौती वसूलीय होगी न कि अन्यथा ।

---

1. जे.ए. त्रिवेदी ब्रदर्स बनाम भारत संघ, 1975, जे.एल.जे. 404 पृष्ठ सं.411
2. 1965 की अधिनियम संख्या 45 द्वारा अंतःस्थापित (पहली अप्रैल, 1966 से प्रभावी)

---

3. उसके सिवाय जैसा कि कोयला खान भविष्य निधि स्कीम में अन्यथा उपबंधित हो, उपधारा (2) के अधीन की कोई भी कटौती, उस मजदूरी से भिन्न किसी मजदूरी में से नहीं की जाएगी जो उस कालविधि के बारे में जिसके लिए कि अभिदाय संदेय है, संदत्त की जा रही है ।
4. किसी तत्प्रतिकूल संविदा के होते हुए भी, नियोजक नियोजक– अभिदाय की या धारा 10 क में निर्दिष्ट प्रभारों की कटौती सदस्य की मजदूरी में से करने का या ऐसा अभिदाय या प्रभार ऐसे सदस्य से अन्यथा वसूल करने का हकदार नहीं होगा ।

10.ड. <u>नियोजकों और ठेकेदारों द्वारा धन की वसूली</u> (1) ठेकेदार द्वारा या के माध्यम से नियोजित कर्मचारी के बारे में नियोजक द्वारा संदत्त संदेय अभिदाय (अर्थात् नियोजक–अभिदाय और कर्मचारी–अभिदाय) की रकम और धारा 10 क में निर्दिष्ट कोई प्रभार और ऐसे किसी कर्मचारी के बारे में किसी कोयला खान बोनस स्कीम के अधीन संदत्त या संदेय कोई बोनस ऐसे नियोजक द्वारा ठेकेदार से या तो किसी संविदा के अधीन ठेकेदार को संदेय किसी रकम में से कटौती द्वारा या ऐसे ऋण के रूप में जो ठेकेदार द्वारा चुकाया जाना है वसूल किए जा सकेंगे ।

(2) वह ठेकेदार, जिससे उसके द्वारा या के माध्यम से नियोजित किसी कर्मचारी के बारे में उपधारा (1) में वर्णित रकमें वसूल की जा सकती है, उसके सिवाय जैसा कोयला खान भविष्य–निधि स्कीम में अन्यथा उपबंधित है, ऐसे कर्मचारी से, ऐसी किसी स्कीम के अधीन के कर्मचारी–अभिदाय को उस कर्मचारी को संदेय मजदूरी में से कटौती द्वारा इस शर्त के अध्यधीन वसूल कर सकेगा कि ऐसी कोई भी कटौती उस मजदूरी से भिन्न किसी मजदूरी से नहीं की जाएगी जो उस कालावधि के बारे में संदेय हो जिससे कर्मचारी का अभिदाय संबंधित है ।

(3) किसी तत्प्रतिकूल संविदा के होते हुए भी, कोई भी ठेकेदार नियोजक अभिदाय की, या उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रभारों या बोनस की कटौती अपने द्वारा या अपने माध्यम से नियोजित किसी कर्मचारी को संदेय रकम में से करने का या ऐसे अभिदाय या प्रभारों या बोनस को ऐसे कर्मचारी वसूल करने का हकदार नहीं होगा ।

10.च. नुकसान वसूल करने की शक्ति– जहां कि कोई नियोजक इस अधिनियम के अधीन विरचित किसी स्कीम के अधीन अपने द्वारा संदेय किसी अभिदाय या बोनस या किन्हीं प्रभारों के संदाय में व्यक्तिक्रम करता है या जहां कि कोई ऐसा व्यक्ति जिससे भविष्य निधि संचयों के अंतरण में व्यक्तिक्रम करता है, वहां केंद्रीय सरकार बकाया की रकम के पच्चीस प्रतिशत से अनधिक इतनी नुकसानी, जितनी अधिरोपित करना वह ठीक समझे, यथास्थिति, ऐसे नियोजक या व्यक्ति से वसूल कर सकेगी ।

## टिप्पणी

नुकसानी वसूल करने की शक्ति– यदि न्यायिककल्प शक्ति हो– धारा 10 च के अधीन नुकसानी वसूल करने की शक्ति न्यायिककल्प होती है और प्रभावित पक्षकार को नोटिस देने के बाद प्रयोग की जानी चाहिए ।[2]

यदि किसी निकाय या प्राधिकरण ने किसी ऐसे मामले का अवधारण करना है जिसमें न्यायिक अधिकार निहित हों तो नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत लागू होता है यदि निकाय या प्राधिकरण व्यक्ति के अधिकारों या हितों को प्रभावित करता है । ऐसे मामलों में विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सुनवाई का उपयुक्त अवसर न देना निकाय अथवा प्राधिकरण के लिए अनुचित होगा ।[3]

11. अभिदायों और बोनस संदाय की अन्य ऋणों पर पूर्विकता– इस अधिनियम के अधीन विरचित स्कीम के अधीन के किसी अभिदाय या बोनस के बारे में शोध्य रकम या ऐसी किसी स्कीम के प्रशासन के बारे में उपगत कोई प्रभार, जबकि उनके लिए दायित्व देनदार व्यक्ति के दिवालिया न्यायनिर्णीत होने के पूर्व या ऐसी कंपनी की दशा में जिसका परिसमापन आदिष्ट हो चुका है ऐसे आदेश की तारीख के पूर्व, प्रोद्भूत हो चुका है, उन ऋणों में सम्मिलित समझा जाएगा जिन्हें प्रेसिडेंसी नगर दिवाला अधिनियम, 1909 की धारा 49 (1909 का 3) के अधीन या प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 की धारा 61 के अधीन (1920 का 5) या इंडियन कंपनीज ऐकट, 1956 की धारा 530 के अधीन, (1913 का 7) यथास्थिति, दिवालिया की

---

1. 1976 के अधिनियम संख्या 99, धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित (1 अगस्त 1976 से प्रभावी)
2. जे.ए. त्रिवेदी ब्रदर्स बनाम भारत संघ, 1975, जे एल जे 404 पृष्ठ 412 पर
3. ......................................................................................

---

संपत्ति के या उस कंपनी की, जिसका समापन किया जा रहा है, अस्तियों के वितरण में सभी अन्य ऋणों पर पूर्विकता देकर कर चुकाया जाना है ।

[1](11.ख) <u>**सद्भावपूर्वक किए गए कार्यों के लिए परित्राण**</u> – कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही इस अधिनियम के या तद्धीन विरचित किसी स्कीम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशायित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी ।

[2](11.ख) <u>**कठिनाइयों का निराकरण करने की शक्ति**</u> – यदि इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन विरचित किसी स्कीम को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत हो तो केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों से अन–असंगत ऐसा उपबंध कर सकेगी या ऐसा निदेश दे सकेगी जो उस कठिनाई के निराकरण के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो ।

[3](11.ग) <u>**छूट प्रदान करने की शक्ति**</u> – (1) नियोक्ता द्वारा अनुरोध किए जाने पर केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन किसी कोयला खान को बीमा स्कीम के सभी अथवा किसी एक उपबंध को लागू करने से छूट दे सकती है, यदि यह समाधान हो जाता है कि उक्त कोयला खान के कर्मचारी कोई पृथक अभिदाय दिए बिना अथवा प्रीमियम का भुगतान किए बिना जीवन बीमा का लाभ उठा रहे हैं, चाहे वह भविष्य निधि में उनकी जमा से संबंधित हो अथवा नहीं और उक्त लाभ बीमा स्कीम स्वीकार्य लाभों की तुलना में उक्त कर्मचारियों के लिए अधिक अनुकूल हैं ।

2) उपधारा के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना (1) बीमा स्कीम किसी कोयला खान में नियोजित और उक्त स्कीम के अंतर्गत आने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को उस स्कीम के सभी अथवा उनमें से किसी एक उपबंध से छूट प्रदान कर सकती है यदि उक्त व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह को स्वीकार्य जीवन बीमा के लाभ बीमा स्कीम के अंतर्गत प्राप्त होने वाले लाभें की तुलना में अधिक अनुकूल हों ।

(3) यदि किसी कोयला खान में नियोजित किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग के संबंध में बीमा स्कीम के सभी अथवा किसी एक उपबंध से इस धारा के अधीन छूट प्रदान की जाती है । (चाहे उक्त छूट ऐसी किसी कोयला खान को प्रदान की जाए जिसमें उक्त व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह नियोजित हो अथवा यह छूट व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को दी जाए) तो नियोक्ता उक्त कोयला खान के संबंध में –

(क) जीवन बीमा के लाभों जिनका उक्त व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह हकदार है अथवा उक्त लेखा रखने वाली किसी बीमा निधि के संबंध में ऐसी विवरणयां प्रस्तुत करेगा, ऐसा निवेश करेगा, निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा और वह निरीक्षण प्रभार अदा करेगा जिसके लिए केंद्रीय सरकार निदेश देगी ।

(ख) छूट के पश्चात किसी भी समय केंद्रीय सरकार की इजाजत के बिना जीवन बीमा के कुल लाभों में कमी नहीं करेगा जिन लाभों को प्राप्त करने के लिए छूट की तारीख से तत्काल पहले ऐसा कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह हकदार था ; और

(ग) यदि ऐसा कोई व्यक्ति अपना रोजगार छोड़ता है और किसी अन्य कोयला खान में पुनः रोजगार प्राप्त करता है तो जिस कोयला खान को उसने छोड़ा है उसकी बीमा निधि में उस व्यक्ति के क्रेडिट में संचित राशि उस कोयला खान के बीमा निधि में

उक्त व्यक्ति के क्रेडिट में अंतरित करेगा जिसमें उसने पुनर्नियोजन प्राप्त किया है अथवा यथा स्थिति निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि में अंतरित करेगा ।

स्पष्टीकरण – इस उपधारा के प्रयोजन के लिए 'बीमा निधि' से अभिप्राय नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को जीवन बीमा के लाभ प्रदान करने के लिए किसी स्कीम के तहत स्थापित किसी निधि से है चाहे इस निमित्त कर्मचारियों द्वारा

---

. अब कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1)

1. 1950 की अधिनियम संख्या 8 द्वारा अंतःस्थापित

2. 1965 की अधिनियम संख्या 45 द्वारा अंतःस्थापित (पहली अप्रैल 1966 से प्रभावी)

3. 1976 की अधिनियम संख्या 99 द्वारा अंतःस्थापित (पहली अगस्त 1976 से प्रभावी)

पृथक अभिदाय या प्रीमियम का भुगतान किए बिना भविष्य निधि में उनकी जमा राशियों के सहबद्ध हो अथवा नहीं ।

4. इस धारा के अधीन प्रदान की गई किसी छूट को छूट प्रदान करने वाला प्राधिकारी लिखित आदेश से रद्द कर सकता है, यदि कोई नियोक्ता निम्नलिखित का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है –

क. उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित किसी शर्त अथवा उपधारा (3) के किसी उपबंध के साथ उपधारा (1) के अधीन प्रदान की गई छूट के मामले में ।

ख) उपधारा (3) के किसी उपबंध के साथ उप धारा (2) के अधीन प्रदान की गई किसी छूट के मामले में

(5) यदि उपधारा (1) या उप–धारा (2) के अधीन प्रदान की गई छूट रद्द हो जाती है तो उस कोयला खान, जिसमें कर्मचारी कार्य कर रहा है, की बीमा निधि में प्रत्येक कर्मचारी, जिस पर छूट लागू होती है, के क्रेडिट में संचित राशि उतनी समयावधि में और उस रीति से बीमा निधि में उसके लेखे के क्रेडिट में अंतरित हो जाएगी जो समयावधि और रीति बीमा स्कीम में विनिर्दिष्ट हो ।

11.घ **1956 की अधिनियम संख्या 31 में निहित किसी भी बात के होते हुए इस अधिनियम का प्रभाव** – जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 में निहित किसी असंगत बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबंध प्रभावी होंगे ।

12) **1948 के अध्यादेश 7 का निरसन**– (1) कोल माइन्स प्रोविडेंट फण्ड एंड बोनस स्कीम्स आर्डिनेंस, 1948 (1948 का 7) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे किसी निरसन के होते हुए भी, उक्त आर्डिनेंस द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में की गई कोई भी बात या कार्रवाई इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में ऐसे की गई समझी जाएगी, मानो यह अधिनियम, 1948 के अप्रैल के 23वें दिन को प्रारंभ हुआ था ।

## प्रथम अनुसूची
(धारा 3 देखिए)

वे बातें जिनके लिए कोयला खान भविष्य निधि– स्कीम में उपबंध किया जाना है –

1. वे कर्मचारी या उन कर्मचारियों का वर्ग जो निधि में सम्मिलित होंगे, निधि को संदेय अभिदाय और वे शर्तें जिनके अधीन किसी कर्मचारी को निधि में सम्मिलित होने से या अभिदायों के संदाय से छूट दी जा सकेगी ।

[1](2. नियोजकों द्वारा और कर्मचारियों द्वारा या की ओर से (चाहे वे नियोजक द्वारा सीधे अथवा ठेकेदार द्वारा या के माध्यम से नियोजित हो) निधि को अभिदायों का संदाय और ऐसे संदाय की दर, समय और रीति और वह रीति जिससे ऐसे अभिदायों की वसूली की जा सकेगी ।

[3](2क) वह रीति जिससे कर्मचारी– अभिदाय ठेकेदारों द्वारा उन कर्मचारियों से जो ऐसे ठेकेदारों द्वारा या के माध्यम से नियोजित हैं, वसूल किए जा सकेंगे ।

3. नियोजक द्वारा ऐसी धनराशियों का संदाय जैसी निधि के प्रशासन के खर्च की पूर्ति के लिए आवश्यक समझी जाएं और वह दर और वह रीति जिससे संदाय किया जाएगा ।

[5](4. बोर्ड की सहायता के लिए किसी समिति का गठन ।

[6](5. प्रादेशिक तथा अन्य कार्यालय खोलना ।

6. वह रीति जिसमें लेखे रखे जाएंगे, निधि के धनों का विनिधान, बजट की तैयारी, लेखाओं की संपरीक्षा तथा केंद्रीय सरकार को रिपोर्टों का प्रस्तुत किया जाना ।

7. वे शर्तें जिनके अधीन निधि में से रकम का लिया जाना अनुज्ञात किया जा सकेगा और कोई कटौती या समपहरण किया जा सकेगा, ऐसी कटौती या समपरण की अधिकतम रकम तथा ऐसी काटी गई या समपहृत रकमों का उपयोग ।

8. सदस्यों को संदेय ब्याज की दर का केंद्रीय सरकार द्वारा न्यासी बोर्ड के परामर्श से नियत किया जाना ।

---

1. 1951 की अधिनियम संख्या 21 द्वारा प्रतिस्थापित
2. 1965 की अधिनियम संख्या 45 द्वारा प्रतिस्थापित (पहली अप्रैल, 1965 से प्रभावी)
3. पूर्वोक्त द्वारा अंतःस्थापित
4. 1951 की अधिनियम संख्या 21 द्वारा प्रतिस्थापित
5. 1965 की अधिनियम संख्या 45 द्वारा प्रतिस्थापित (पहली अप्रैल 1965 से प्रभावी)
6. पूर्वोक्त द्वारा प्रतिस्थापित

---

9. वह प्ररूप जिसमें कर्मचारी अपेक्षा किए जाने पर अपने तथा अपने कुटुम्ब के बारे में विशिष्टियां देगा ।

10. सदस्य के नाम में जमा रकम को उसकी मृत्यु के पश्चात् प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति का नामनिर्देशन तथा ऐसे नामनिर्देशन को रद्द करना या बदलना ।
11. वे रजिस्टर और अभिलेख जो नियोजक या [1](ठेकेदार) द्वारा रखे जाने हैं और वे विवरणियां जो उसके द्वारा दी जानी हैं ।
12. किसी कर्मचारी की पहचान के प्रयोजनों के लिए पहचान पत्र या टोकन या डिस्क का प्ररूप या डिजाइन और उनका दिया जाना, अभिरक्षा या प्रतिस्थापन ।
13. वे फीसें जो इस अनूसूची में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से किसी के लिए उद्‌गृहीत की जानी है ।

[2](13क. वह रीति जिसमें किसी विद्यमान भविष्य निधि में के संचय धारा 3 घ के अधीन निधि को अंतरित किए जाएंगे और उन आस्तियों के मूल्यांकन का ढंग जिनका अंतरण ऐसी भविष्य निधि का प्रशासन करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाए ।

14. कोई अन्य बात जिसके लिए कोयला खान भविष्य निधि स्कीम में उपबंध किया जाना है या जो उस स्कीम को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या उचित हो ।

## दूसरी अनुसूची
(धारा 35 देखिए)

वे बातें जिनके लिए कोयला खान परिवार पेंशन स्कीम में प्रावधान किया जाना है ।

1. वे कर्मचारी अथवा उन कर्मचारियों का वर्ग जिन पर कोयला खान परिवार पेंशन स्कीम लागू होगी और वह समयावधि जिसमें उन कर्मचारियों को स्कीम में शामिल होने का विकल्प देना है जिन पर उक्त स्कीम लागू नहीं होती है ।
2. धारा 3 ड. (2) के उपबंधों के अधीन नियोक्ता और कर्मचारियों के अभिदाय का भाग जो परिवार पेंशन निधि में क्रेडिट किया जाएगा और वह रीति जिस रीति से वह भाग क्रेडिट किया जाएगा ।
3. परिवार पेंशन निधि में केंद्रीय सरकार का अभिदाय और वह रीति जिस रीति से उक्त अभिदाय दिया जाना है ।
4. वह रीति जिस रीति से परिवार पेंशन निधि के लेखे रखे जाएंगे और केंद्रीय सरकार के पास परिवार पेंशन निधि से संबंधित धनराशि का उस ब्याज दर पर निवेश किया जाएगा जो साढ़े पांच प्रतिशत प्रति वर्ष से कम नहीं होगी ।
5. वह फार्म जिस में कर्मचारी, जहां कहीं आवश्यक हो, अपने और अपने परिवार का विवरण भरेगा ।
6. कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात् कर्मचारी को देय बीमा राशि प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति का नामांकन और उक्त नामांकन को रद्द करना अथवा उसमें परिवर्तन ।
7. कर्मचारियों के संबंध में रखे जाने वाले रजिस्टर और रिकार्ड, कर्मचारी अथवा उसके नामिती अथवा पेंशन प्राप्त करने के हकदार उसके परिवार के सदस्य की पहचान के लिए पहचान पत्र, टोकन या डिस्क का स्वरूप अथवा डिजाइन ।

8. परिवार पेंशन और बीमा राशि का मानदण्ड ।
9. परिवार पेंशन के संवितरण का तरीका और इस प्रयोजन के लिए यथा विनिर्दिष्ट संवितरण एजेंसियों के साथ ठहराव का तरीका ।
10. केंद्रीय सरकार द्वारा कोयला खान परिवार पेंशन स्कीम के प्रशासन से संबंधित किए गए व्ययों का बोर्ड को भुगतान करने की रीति ।
11. ऐसा कोई भी अन्य मामला जिसके लिए कोयला खान परिवार पेंशन स्कीम में प्रावधान किया जाना चाहिए अथवा जो कोयला खान परिवार पेंशन स्कीम के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए आवश्यक अथवा उपयुक्त हो ।

---

1. 1965 का अधिनियम संख्या 45 द्वारा अंतःस्थापित (पहली अप्रैल, 1966 से प्रभावी)
2. पूर्वोक्त द्वारा प्रतिस्थापित
3. 1971 की अधिनियम संख्या 16, धारा 11 द्वारा अंतःस्थापित (23 अप्रैल, 1971 से प्रभावी)

## तीसरी अनुसूची

(धारा 3–छ देखिए)

(वे बातें जिनके लिए निक्षेप–सहबद्ध बीमा स्कीम में प्रावधान किया जाना है)

1. कर्मचारी या कर्मचारियों का वर्ग जो बीमा स्कीम में सम्मिलित होंगे ।
2. वह रीति जिससे बीमा निधि के लेखे रखे जाएंगे तथा निवेश के उस पैटर्न के लिए बीमा निधि से संबंधित धनराशि का निवेश जिसे केंद्रीय सरकार आदेश द्वारा निर्धारित करे ।
4. वह फार्म जिसमें कर्मचारी, जहां कहीं आवश्यक हो, अपने और अपने परिवार का विवरण भरेगा ।
5. कर्मचारियों के संबंध में रखे जाने वाले रजिस्टर और रिकार्ड, कर्मचारी अथवा उसके नीमिती अथवा पेंशन प्राप्त करने के हकदार परिवार के सदस्य की पहचान के लिए पहचान पत्र, टोकन का स्वरूप अथवा डिजाइन ।
6. बीमा राशि का मानदण्ड जो उसकी मृत्यु से तत्काल पूर्व के तीन वर्षों की अवधि के दौरान निधि में संबंधित कर्मचारी के खाते में औसत शेष राशि अधिक न हो अथवा दस हजार रुपये से अधिक न हो ।
7. किसी कर्मचारी द्वारा स्कीम के तहत लाभों को प्राप्त करने का पात्र बनने के लिए निधि में रखी जाने वाली न्यूनतम औसत शेष राशि ।
8. वह रीति जिससे नामिती या कर्मचारी के परिवार के सदस्य को इस स्कीम के तहत देय राशि का भुगतान किया जाएगा तथा उपबन्ध कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संगत किसी नए बचत बैंक खाते में जमा राशि के अलावा किसी अन्य राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा ।

9. कोई अन्य बात जिसके लिए बीमा स्कीम में प्रावधान किया जाना है अथवा जो उस स्कीम को कार्यान्वित करने के आवश्यक या उचित है ।

[2](चौथी अनुसूची)
(धारा 5 देखिए)

वे बातें जिनके लिए कोयला खान बोनस स्कीम में उपबंध किया जाना है ।

1. ऐसे बोनस का संदाय जो किसी कालावधि के दौरान कर्मचारी के हाजिर रहने पर निर्भर है ।
2. वे कर्मचारी या उन कर्मचारियों का वर्ग जो बोनस के लिए पात्र होंगे तथा पात्रता की शर्तें ।
3. वह दर जिससे बोनस किसी कर्मचारी को संदेय होगा और वह रीति जिससे बोनस की संगणना की जाएगी ।
4. वे दशाएं जिनमें बोनस पूर्णतः या भागतः प्राप्त करने से कोई कर्मचारी विवर्जित किया जा सकेगा ।
5. वह दर जिससे राशियां बोनस के संदाय के लिए नियोजक द्वारा पृथक रख दी जाएंगी तथा ऐसे संदाय का समय और रीति ।
6. वे रजिस्टर और अभिलेख जो नियोजक या ठेकेदार द्वारा रखे जाने हैं और विवरणियां जो उसके द्वारा दी जानी हैं ।

5(6क. बोनस की उस रकम का जो उस तिमाही को समाप्ति से जिससे वह संबंधित है, छह मास की कालावधि तक असंदत्त या अदावाकृत रही हो, नियोजक द्वारा निधि को या केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य निधि को अन्तरण और अपने कर्मचारियों के प्रति नियोजक के दायित्व का ऐसी अन्तरित रकम की मात्रा तक निर्वाचन ।

7. कोई अन्य बात जिसके लिए कोयला खान बोनस स्कीम में उपबन्ध किया जाना है, या जो उस स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक या उचित हो ।

---

1. 1976 की अधिनियम संख्या 99 की धारा 15 द्वारा अंतःस्थापित (पहली अगस्त, 1976 से प्रभावी)
2. यथोक्त द्वारा पुनः संख्यांकित किया गया (पहली अगस्त 1976 से प्रभावी)
3. 1950 की अधिनियम संख्या 80 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. 1965 की अधिनियम संख्या 45 द्वारा अंतःस्थापित (पहली अप्रैल 1966 से प्रभावी)
5. यथोक्त द्वारा प्रतिस्थापित

रजिस्ट्री सं. डी.एल. 33004

भारत का राजपत्र
असाधारण
भाग II –खण्ड

प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 52 नई दिल्ली, बुद्धवार, अगस्त 14, 1996/श्रावण 23, 1978 इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलप के रूप में रखा जा सके ।

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1966/श्रावण 23, 1918 (शक) संसद के निम्नलिखित अधिनियम को 13 अगस्त, 1996 को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हुई और इसे एतद्द्वारा सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :–

(कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अधिनियम, 1996)

1996 का 23

(13 अगस्त, 1996)

कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 में और संशोधन के लिए अधिनियम––– भारत गणराज्य के सैंतालीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ | 1.(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कोयला खान भविष्य तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अधिनियम, 1966 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

1948 के अधिनियम 46 के दीर्घशीर्षक का संशोधन | 2. कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 (यहां इसके बाद मूल अधिनियम कहा जाएगा) के दीर्घ शीर्षक में "परिवार पेंशन स्कीम" शब्द के स्थान पर "पेंशन स्कीम" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

धारा 2 का संशोधन | 3. मूल अधिनियम की धारा 2 में –

(क) खंड (ड.) का लोप किया जाएगा ;

(ख) खंड (छ) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा

अर्थात् ;

(ज) "पेंशन निधि" से धारा 3 ड. की उपधारा (2) के अधीन स्थापित पेंशन निधि से अभिप्रेत है ;

(झ) "पेंशन स्कीम" से धारा 3ड. की उप धारा (1) के अधीन विरचित कोयला खान पेंशन स्कीम से अभिप्रेत है ।

( ) किसी कर्मचारी, जो पेंशन स्कीम का सदस्य है, के संबंध में अधिवार्षिता से उक्त कर्मचारी द्वारा वह आयु प्राप्त करने से अभिप्रेत है जो संविदा या सेवा शर्तों में निर्धारित की गई हो जिसे प्राप्त करने पर उक्त कर्मचारी नियोजन छोड़ देगा ।"

कुछ अन्य अभिव्यक्तियों द्वारा कुछ अभिव्यक्तियों के संबंध में प्रतिस्थिपन

4. मूल अधिनियम में "परिवार पेंशन" ष्परिवार पेंशन निधिष परिवार पेंशन स्कीम और "कोयला खान परिवार पेंशन स्कीम" अभिव्यक्तियों के लिए, जहां कहीं ये आएं, क्रमशः 'पेंशन', "पेंशन निधि", "पेंशन स्कीम" और "कोयला खान पेंशन स्कीम" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 3ड. के लिए नई धारा का प्रतिस्थापन

5. मूल अधिनियम की धारा 3 ड. के लिए निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात्

"3ड.(1) केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित का उपबंध करने के लिए एक स्कीम विरचित कर सकती है जिसे कोयला खान पेंशन स्कीम कहा जाएगा

(क) किसी कोयला खान या कोयला खान के वर्ग, जिस पर यह अधिनियम लागू होता है, में नियोजित व्यक्तियों के लिए अधिवार्षिता पेंशन, सेवानिवृत्ति पेंशन या स्थायी पूर्ण अशक्तता पेंशन, और

(ख) उक्त कर्मचारियों के हिताधिकारियों को देय विधवा या विधुर पेंशन, संतान पेंशन अथवा अनाथ पेंशन

2. धारा 3 में किसी भी बात के होते हुए पेंशन स्कीम के विरचन के पश्चात यथाशीध्र एक पेंशन निधि की स्थापना की जाएगी जिसमें प्रत्येक कर्मचारी, जो पेंशन स्कीम का सदस्य है, के संबंध में समय–समय पर भुगतान किया जाएगा :–

(क) पेंशन स्कीम में यथा विनिर्दिष्ट नियोक्ता के अभिदाय तथा कर्मचारी के अभिदाय के रूप में धारा 10 घ की उपधारा (ठ) के अधीन निधि में देय राशि का अधिकतम एक चौथाई

(ख) वह राशि जो केंद्रीय सरकार इस निमित्त विधि द्वारा संसद द्वारा उपयुक्त विनियोजन के पश्चात् निर्धारित करे ।

ग) पेंशन निधि की स्थिपना से तत्काल पूर्व यथी मौजूद परिवार पेंशन निधि की निवल आस्तियां, और

घ) कोई अन्य अभिदाय जो पेंशन निधि में केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से किया जाए ।

(3) पेंशन निधि की स्थपिना होने पर परिवार पेंशन स्कीम (यहां इसके बाद इसे प्रविरत स्कीम कहा जाएगा) प्रवृत्त नहीं रह जाएगी और प्रविरत स्कीम की समस्त आस्तियां इसमें निहित होंगी और पेंशन निधि में अंतरित हो जाएंगी तथा प्रविरत स्कीम के अंतर्गत सभी देयताएं पेंशन निधि के संबंध में प्रवर्तनीय होंगी तथा प्रविरत स्कीम के हिताधिकारी पेंशन निधि से लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे जो प्रविरत स्कीम के अधीन प्राप्त होने वाले लाभ से कम न हो ।

(4) पेंशन निधि बोर्ड में निहित होगी और उसके द्वारा पेंशन स्कीम द्वारा यथी विनिर्दिष्ट रीति से प्रशासित होंगी ।

(5) उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन विरचित स्कीम दूसरी अनूसूची में विनिर्दिष्ट सब बातों के लिए या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेगी ।

(6) मूल अधिनियम की धारा 4 के लिए निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात् :–

1961 के अधिनियम 43 के अधीन निधि को मान्य किया जाना

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रयोजन के लिए इस निधि को इस अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग 'क' के अर्ध में मान्यताप्राप्त भविष्य निधि माना जाएगा"

धारा 10 का संशोधन
1898 का 5 1974 का 2

7. मूल अधिनियम की धारा 10 में, उपधारा (2ख) में–

(क) "दण्ड प्रक्रिया संहिता 1898" शब्द और अंक के स्थनि पर "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

(ख) शब्द और अंक "धारा 98" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 94" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 11 का संशोधन
1973 का 7
1956 का 1

8. मूल अधिनियम की धारा 11 में "भारतीय कंपनी अधिनियम,1913 की धारा 230" शब्दों और अंकों के लिए शब्द और अंक कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 530" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

दूसरी अनुसूची के लिए नई अनुसूची का प्रतिस्थापन

9. मूल अधिनियम की दूसरी अनुसूची के लिए निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्–

## दूसरी अनुसूची
(धारा 3 ड. (5) देखिए)

वे बातें जिनके लिए कोयला खान पेंशन स्कीम में उपबंध किया जाना है ।

1. वे कर्मचारी अथवा उन कर्मचारियों का वर्ग जिन पर कोयला खान पेंशन स्कीम लागू होगी और वह समयावधि जिसमें उन कर्मचारियों को स्कीम में शामिल होने का विकल्प देना है जिन पर उक्त स्कीम लागू नहीं होती है ।
2. वह समयावधि जिसमें वे कर्मचारी, जो कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अधिनियम, 1996 (यहां इसके बाद इस अनूसूची में इसे संशोधन अधिनियम कहा जाएगा) के प्रारंभ से पूर्व धारा 33 के अधीन परिवार पेंशन स्कीम के सदस्य नहीं हैं, पेंशन स्कीम के लिए विकल्प देंगे ।
3. नियोक्ता और कर्मचारियों के अभिदाय का भाग जो पेंशन निधि में क्रेडिट किया जाएगा और वह रीति जिस रीति से यह भाग क्रेडिट किया जाएगा ।
4. निधि में केंद्रीय सरकार का अभिदाय और अन्य अभिदाय जो पेंशन निधि में क्रेडिट किया जाएगा और वह रीति जिस रीति से उक्त अभिदाय दिया जाना है ।
5. पेंशन की पात्रता के लिए न्यूनतम अधिनियम अर्हक सेवा और वह रीति जिससे कर्मचारी संशोधन अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व यथास्थिति धारा 3 ड. के अधीन उनकी पिछली सेवा के लाभ प्रदान किए जा सकते हैं ।
6. उस सेवा अवधि का विनियमन जिसमें अभिदाय प्राप्त नहीं होता है ।
7. वह रीति जिससे नियोक्ता द्वारा अभिदाय का संदाय न करने पर कर्मचारी के हित की रक्षा होगी ।
8. वह रीति जिससे पेंशन निधि के लेखे रखे जाएंगे और पेंशन निधि से संबंधित धनराशि का निवेश निवेश के ऐसे पैटर्न के अधीन किया जाएगा जो केंद्रीय सरकार निर्धारित करे ।
9. वह फार्म जिसमें कर्मचारी, जहां कहीं आवश्यक हो, अपने और अपने परिवार का विवरण भरेगा ।
10. पेंशन स्कीम के प्रशासन के लिए अपेक्षित कर्मचारियों के संबंध में रखे जाने वाले फार्म, रजिस्टर और रिकार्ड ।
11. पेंशन मान और पेंशन लाभ और कर्मचारियों को उक्त लाभ प्रदान करने से संबंधित शर्तें, पेंशन स्कीम के अंतर्गत देय जीवन बीमा की राशि और उक्त संदाय की राशि ।
12. पेंशन के संवितरण का तरीका और इस प्रयोजन के लिए यथी विनिर्दिष्ट संवितरण एजेंसियों के साथ ठहराव का तरीका ।
13. केंद्रीय सरकार द्वारा पेंशन स्कीम के प्रशासन से संबंधित किए गए व्ययों का बोर्ड को भुगतान करने की रीति ।
14. कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में पेंशन और बीमा राशि प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का नामांकन ।
15. ऐसा कोई भी अन्य मामला जिसके लिए पेंशन स्कीम में प्रावधान किया जाना है अथवा जो पेंशन स्कीम के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए आवश्यक अथवा उपयुक्त हो ।

निरसन और व्यावृत्तियां 1942 का अध्यादेश 22

10.(1) कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) तीसरा अध्यादेश, 1996 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) उक्त निरसन में किसी भी बात के होते हुए उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य अथवा कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के संगत उपबंधों के अधीन किया गया कार्य अथवा की गई कार्रवाई समझी जाएगी ।

के.एल. मोहनपुरिया
सचिव, भारत सरकार

भारत सरकार
असाधारण

भाग II – खण्ड
प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 12 नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी, 5/1996/पोष 15, 1917 इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रख जा सके ।

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 1996 (पोष, 15, 1917 शक)
कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध
(संशोधन) अध्यादेश, 1996

1996 का 5

भारत गणराज्य के छियालिसवें वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 में और संशोधन करने के लिए अध्यादेश,

कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) बिल, 1995 संसद में पुरः स्थापित किया गया है लेकिन अभी तक पारित नहीं हुआ है और चूँकि इस समय संसद सत्र नहीं है और राष्ट्रपति जी का समाधान हो गया है कि मौजूदा परिस्थिति में उक्त विधेयक के उपबंधों को प्रभाव में लाने के लिए तत्काल कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक है ;

अब, इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 123 के खंड (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति जी निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :–

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1(1) यह अध्यादेश कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अध्यादेश, 1996 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

1948 के अधिनियम 46 के दीर्घ शीर्षक का संशोधन

2. कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 (यहां इसके बाद इसे मूल अधिनियम कहा जाएगा) के दीर्घ शीर्षक में "परिवार पेंशन स्कीम" शब्द के लिए पेंशन स्कीम" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

धारा 2 का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 2 में –

(क) खंड (ड.ड.) विलोपित हो जाएगा ।

(ख) खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित स्थापित किए जाएंगे अर्थात्–

(ज) पेंशन निधि से धारा 3 ड. की उपधारा (2) के अधीन स्थापित पेंशन निधि अभिप्रेत है ;

(झ) "पेंशन स्कीम" से धारा 3 ड. की उपधारा (1) के अधीन विरचित कोयला खान पेंशन स्कीम अभिप्रेत है ;

(ण) ऐसे कर्मचारी, जो पेंशन स्कीम का सदस्य है, के संबंध में अधिवार्षिता से उक्त कर्मचारी द्वारा वह आयु प्राप्त करने से अभिप्रेत है जो संविदा या सेवा शर्तों में निर्धारित की गई हो जिसे प्राप्त करने पर उक्त कर्मचारी नियोजन छोड़ देगा ।"

कुछ अन्य अभिव्यक्तियों द्वारा कुछ अभिव्यक्तियों के संबंध में प्रतिस्थीपन

4. मूल अधिनियम में "परिवार पेंशन" परिवार पेंशन निधि" "परिवार पेंशन स्कीम" और "कोयला खान परिवार पेंशन स्कीम" अभिव्यक्तियों के लिए जहां कहीं ये शब्द आए, क्रमशः "पेंशन" "पेंशन निधि", "पेंशन स्कीम" और "कोयला खान स्कीम" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 3 ड. के लिए नई धारा का प्रतिस्थीपन

5. मूल अधिनियम की धारा 3 ड. के लिए निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्–

"3ड.(1) केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसचूना द्वारा निम्नलिखित का उपबंध करने के लिए एक स्कीम विरचित कर सकती है जिसे कोयला खान पेंशन स्कीम कहा जाएगा ।

(क) किसी कोयला खान या कोयला खान के वर्ग जिस पर यह अधिनियम लागू होता है, में नियोजित व्यक्तियों के लिए अधिवर्षिता पेंशन, सेवानिवृत्ति पेंशन या स्थायी पूर्ण अशक्तता पेंशन, और

(ख) उक्त कर्मचारियों के हिताधिकारियों को देय विधवा या विधुर पेंशन, संतान पेंशन अथवा अनाथ पेंशन

2. धारा 3 में किसी भी बात के होते हुए पेंशन स्कीम के विरचन के पश्चात् यथाशीघ्र एक पेंशन निधि की स्थापना की जाएगी जिसमें प्रत्येक कर्मचारी, जो पेंशन स्कीम का सदस्य है, के संबंध में समय–समय पर भुगतान किया जाएगा :–

क) पेंशन स्कीम में यथाविनिर्दिष्ट नियोक्ता के अभिदाय तथा कर्मचारी के अभिदाय के रूप में धारा 10घ की उपधारा (ठ) के अधीन निधि में देय राशि का अधिकतम एक चौथाई ।

ख) वह राशि जो केंद्रीय सरकार इस निमित्त विधि द्वारा संसद द्वारा उपयुक्त विनियोजन के पश्चात् निर्धारित करे ।

ग) पेंशन निधि की स्थीपिना से तत्काल पूर्व यथा मौजूद परिवार पेंशन निधि की निवल आस्तियां, और

घ) कोई अन्य अभिदाय जो पेंशन निधि में केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से किया जाए ।

3) पेंशन निधि की स्थापना होने पर (यहां इसके बाद इसे प्रविरत स्कीम कहा जाएगा) प्रवृत्त नहीं रह जाएगी और प्रविरत स्कीम की समस्त अस्तियां इसमें निहित होंगी और पेंशन निधि में अंतरित हो जाएंगी तथा प्रविरत स्कीम के अंतर्गत सभी देयताएं पेंशन निधि के संबंध में प्रवर्तनीय होंगी तथा प्रविरत स्कीम के हिताधिकारी पेंशन निधि से लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे जो प्रविरत स्कीम के अधीन प्राप्त होने वाले लाभ से कम न हो ।

4) <u>पेंशन निधि</u>– बोर्ड में निहित होगी और उसके द्वारा पेंशन स्कीम द्वारा यथा विनिर्दिष्ट रीति से प्रशासित होंगी ।

5) उपधारा ।1। के उपबंधों के अधीन विरचित स्कीम दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट सब बातों के लिए या उनमें से किसी एक के लिए उपबंध कर सकेगी ।

6) मूल अधिनियम की धारा 4 के लिए निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात् :–

1961 के अधिनियम 43 के अधीन निधि को मान्य किया जाना

"4 आयकर अधिनियम, 1961 के प्रयोजन के लिए इस निधि को इस अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग–क के अर्थ में मान्यता प्राप्त भविष्य निधि माना जाएगा ।"

7. मूल अधिनियम की धारा 10 में, उपधारा (2 ख) में– धारा का संशोधन

1898 का 5
1974 का 2

(क) "दण्ड प्रक्रिया संहिता 1898" शब्द और अंक के स्थान पर "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे

(ख) शब्द और अंक "धारा 98" के स्थिनि पर शब्द और अंक "धारा 94" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 11 का संशोधन

8. मूल अधिनियम की धारा 11 में "भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 की धारा 230 "शब्दों और अंकों" के लिए शब्द अंक "कंपनी

1913 का 7
1956 का 1

अधिनियम, 1956 की धारा 530" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

दूसरी अनुसूची के लिए नई अनुसूची का प्रतिस्थापन

9. मूल अधिनियम की दूसरी अनुसूची के लिए निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्–

## दूसरी अनुसूची
(धारा 3 ड. (5) देखिए)

वे बातें जिसके लिए कोयला खान पेंशन स्कीम में उपबंध किया जाना है ।

1. वे कर्मचारी अथवा उन कर्मचारियों का वर्ग जिन पर कोयला खान पेंशन स्कीम लागू होगी और वह समयावधि जिसमें उन कर्मचारियों को स्कीम में शामिल होने का विकल्प देना है जिन पर उक्त स्कीम लागू नहीं होती है ।
2. वह समयावधि जिसमें वे कर्मचारी, जो कोयला खान भविष्य निधि या प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अधिनियम, 1996 (यहां इसके बाद इस अनुसूची में इसे संशोधन अधिनियम कहा जाएगा) के प्रारंभ से पूर्व धारा 3 ड. के अधीन परिवार पेंशन स्कीम के सदस्य नहीं है, पेंशन स्कीम के लिए विकल्प देंगे ।
3. नियोक्ता और कर्मचारियों के अभिदाय का भाग जो पेंशन निधि में क्रेडिट किया जाएगा और वह रीति जिस रीति से यह भाग क्रेडिट किया जाएगा ।
4. निधि में केंद्रीय सरकार का अभिदाय और अन्य अभिदाय जो पेंशन निधि में क्रेडिट किया जाएगा और वह रीति जिस रीति से उक्त अभिदाय दिया जाना है ।
5. पेंशन की पात्रता के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा और वह रीति जिससे कर्मचारी संशोधन अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व यथास्थिति धारा 3 ड. के अधीन उनकी पिछली सेवा के लाभ प्रदान किए जा सकते हैं ।
6. उस सेवा अवधि का विनियमन जिसमें अभिदाय प्राप्त नहीं होता है ।
7. वह रीति जिससे नियोक्ता द्वारा अभिदाय का संदाय न करने पर कर्मचारी के हित की रक्षा होगी ।
8. वह रीति जिससे पेंशन निधि के लेखे रखे जाएंगे और पेंशन निधि से संबंधित धनराशि का निवेश निवेश के ऐसे पैटर्न के अधीन किया जाएगा जो केंद्रीय सरकार निर्धारित करे ।
9. वह कार्य जिस में कर्मचारी, जहां कहीं आवश्यक हो, अपने और अपने परिवार का विवरण भरेगा ।
10. पेंशन स्कीम के प्रशासन के लिए अपेक्षित कर्मचारियों के संबंध में रखे जाने वाले फार्म, रजिस्टर और रिकार्ड ।

11. पेंशन मान और पेंशन लाभ और कर्मचारियों के उक्त लाभ प्रदान करने के लिए संबंधित शर्तें, पेंशन स्कीम के अंतर्गत देय जीवन बीमा की राशि और उक्त संदाय की राशि ।
12. पेंशन के संवितरण का तरीका और इस प्रयोजन के लिए यथा विनिर्दिष्ट संवितरण एजेंसियों के साथ ठहराव का तरीका ।
13. केंद्रीय सरकार द्वारा पेंशन स्कीम के प्रशासन से संबंधित किए गए व्ययों का बोर्ड को भुगतान करने की रीति ।
14. कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में पेंशन और बीमा राशि प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का नामंकन ।
15. ऐसा कोई भी अन्य मामला जिसके लिए पेंशन स्कीम में प्रावधान किया जाना है अथवा जो पेंशन स्कीम के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए आवश्यक अथवा उपयुक्त हो ।

शंकर दयाल शर्मा
राष्ट्रपति
के.एल. मोहनपुरिया
सचिव, भारत सरकार